

फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री हेमन्त रावल
निवासी जावाल
तहसील सिरौही
जिला सिरौही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
तहसीलदार सिरौही

किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 02-वर्ष 2025

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुकम की तामिल में जारी हुए
07.01.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हरजी चौराहा जावाल से अवैध केबिन को हटाया जावे। उक्त से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.11.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हरजी चौराहा जावाल से अवैध केबिन को हटाया जावे। उक्त से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/तहसील/लो.सू.अ./2025/10541 दिनांक 18.11.2025 के द्वारा अपीलांत को सूचित कर दिया गया है। अतः सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सिरौही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(अल्पा प्रौधरी)

जिला कलक्टर, सिरौही